न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 15/2019

1. भूपेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पुत्र गिरधारीलाल जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्री गंगानगर।
3. छिन्दो बाई पत्नी हंसराज जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्री गंगानगर।

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 10.05.2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 भूपेन्द्र कुमार एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से चक 3 जी बड़ी तहसील श्री गंगानगर के खाता संख्या 33/72 के मुरब्बा नम्बर 3 की 3.606 हैक्टर में से कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है तथा अन्य के अलावा मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रार्थीयान के कब्जा काश्त में है व मुरब्बा नम्बर 4 में एक ट्यूबवेल स्थापित किया हुआ है, पटवारी द्वारा जारी आंशिक नक्शा दिनांक 26.12.18 की प्रति तथा जमाबंदी की नकल भी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी भूपेन्द्र कुमार के नाम से शामिल जमाबंदी अनुसार चक 2 जे बडा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/50 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला न0 1 ता 6, किला नम्बर 8/1 व 21 ता 25 में 1.164 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीयान को चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 में लगे ट्यूबवेल का पानी चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 25 तक ले जाना आवश्यक बताया है, जिसके लिए चक 3 जी बडी के रकबा के साथ लगते चक 2 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 प्रत्येक के किला नम्बर 25 से 21 में चल रहे सरकारी रास्ता की भूमि में अण्डरग्राउण्ड पाईप डालने की आवश्यकता है, तथा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी—पश्चिमी हिस्सा से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक श्री गंगानगर से हिन्दुमलकोट तक पक्की सड़क के नीचे 3 फीट गहराई में अण्डरग्राउण्डर पाईप डालना आवश्यक है, जिससे कि चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

... पानी चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 25 तक ले जाया जा सके, इसके लिए स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, कथन किया है।

तथा यह भी कथन किया है कि अण्डरग्राउण्ड पाईप चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 3, 2, 1 में से अपना कब्जा की भूमि में से तथा इसके उपरांत चक 2 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 से 39 प्रत्येक के किला नम्बर 25 से 21 की रास्ता की भूमि में अण्डरग्राउण्ड डाला जाना है जो कि प्रार्थीयान अपने खर्चे पर डालना चाहते हैं, नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पाईप जिस रास्ता की भूमि में डाला जाना है, उसकी स्वीकृति आवश्यक है, यह पाईप किसी अन्य काश्तकार चक 3 जी बड़ी व 2 जी बड़ी की खातेदारी भूमि में से नहीं जाना है, अतः कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं है, केवल सरकारी रास्ता की भूमि में से ले जाने के कारण अप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है। चक 2 जे बडा के मुरब्बा नम्बर 34 का रकबा प्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जबकि चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 का रकबा तीनों प्रार्थीयान के नाम दर्ज है, अतः प्रार्थी संख्या 2 व 3 को उनकी भूमि चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 से 1 की भूमि में अण्डरग्राउण्ड पाईप डालने में कोई आपति नहीं है बल्कि वह सहमत है, क्योंकि प्रार्थीयान एक ही परिवार के व्यक्ति हैं तथा सांझी खेती की जाती है। इस प्रकार तीनों का हित अण्डरग्राउण्ड पाईप लाईन डालने की स्वीकृत में होने के कारण प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी संख्या 1 का शपथ–पत्र भी शामिल कर अर्ज किया कि प्रार्थीयान को चक 3 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 में लगे ट्यूबवेल का पानी चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 34 में ले जाने के लि चक 3 जी बडी के मुरब्बा नम्बर के किला नम्बर 1 के पूर्वी उत्तरी हिस्सा से 2 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 25 का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में सड़क के नीचे कुतरी व आगे चक 2 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 से 39 प्रत्येक के किला नम्बर 25 से 21 के रास्ता की भूमि में अण्डरग्राउण्ड 3 फीट गहराई में व चक 2 जी बड़ी के मु0 नम्बर 39 के किला नम्बर 21 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से चक 2 जे बडा के मुरबा नम्बर 34 के किला नम्बर 25 के पूर्वी दक्षिणी कोने में कुतरी श्री गंगानगर–हिन्दुमलकोट सड़क जो कि चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 25 में से जा रही है में 3 फीट गहराई में अण्डरग्राउण्ड पाईप अपने खर्चा पर डालने की अनुमति प्रदान की जावे ।

पत्र की पालना में मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कालियां तथा खाटलबाना के 3 जी बड़ी के खाता सं. 33/72 में भूपेन्द्रकुमार, सुरेन्द्रकुमार पीसरान हंसराज कौम ओड राजपूत बहिस्सा बराबर 0.234 हैक्टेयर, तथा हंसराज पुत्र गिरधारीलाल कौम राजपूत 0.676 हैक्टेयर, छिन्दोबाई पत्नी हंसराज 1.012 हंसराज पुत्र गिरधारीलाल 1.012 हैक्टेयर कौम ओड राजपूत के नाम संयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाता में मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 में ट्यूबवेल लगा हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण चक 2 जी बड़ा के मुरब्बा नम्बर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 में से हो कर चक 2 जे बड़ा में स्थित अपने खेत में पाईप द्वारा सिचांई पानी लाना चाहता है।

चक 2 जी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 के किला नम्बर 21 ता 25 में 16.5 फीट रास्ता प्रत्येक किला नम्बर में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रत्येक किले में लगभग 12.5 फिट पक्की सड़क बनी हुई है तथा शेष रकबा में से प्रार्थीगण भूमिगत पाईप द्वारा सिंचाई पानी अपने चक 2 जे बड़ा में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्थित अपने खेत में ले जाना चाहता है। चक 2 जी बड़ी व 2 जे बड़ा को सीमा रेखा पर हिन्दूमलकोट से श्रीगंगानगर पक्की सड़क निर्मित है। सड़क की क्षति मध्यनजर नियमानुसार

40

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सिंचाई पानी पाईप लाइन की स्वीकृति दिया जाना उचित है। नजरी नक्शा, मूल पटवारी हल्का कालियां तथा खाटलबान रिपोर्ट, जमाबंदी चक 3. जी छोटी खाता संख्या 33 की प्रमाणित प्रति संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण चक 3 ई बड़ी द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6 में टयुबैल से अपनी भूमि चक 3 ई बड़ी प्रथम में मुरब्बा नम्बर 11 की 2.530 हैक्टर भूमि में पानी लाना चाहता है। प्रार्थी के दोनो मुरब्बों के उत्तर से दक्षिण दिषा में सरकारी रास्ता है। रास्ते के मध्य से पाईप लाईन बिछानें की अनुमति दी जानी उचित है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 जी बड़ा के मुरब्बा नम्बर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में चल रहे सरकारी रास्ता की भूमि में से हो कर चक 2 जे बड़ा में स्थित प्रार्थीगण के खेत में पाईप द्वारा सिचांई पानी हेतु 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

1. पाईप लाईन भूमि में चार फीट गहराई में दबाई जावेगी।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर रास्ते की मरम्मत की जावेगी।
3. भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को होगा। इस सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं की जावेगी।
4. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़ने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपने खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।
5. यदि सड़क के नीचे से पाईप लाईन निकाली जाती है तो पाईप लाईन डाले जाने से पूर्व संबंधित विभाग (जिसने सड़क का निर्माण करवाया हो) का अनापति प्रमाण पत्र लेना होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 10.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
श्रीगंगानगर
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर